हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 74

सोमवार, 30 मार्च, 2015/9 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 2.00 बजे (अपराह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

2.00 PM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 1825 से 1828, 1830 से 1832, 1835 व 1836 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1829, 1833 व 1834 के उत्तर सभा पटल पर रखे समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1837 से 1849 तक व 1564 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 834 से 841 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3.03 PM

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाया।

3.05 PM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री जय राम ठाकुर, सदस्य, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **98वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 74वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **99वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **100वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **101वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 268वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति का **37वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री खूब राम, सदस्य, अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **पंचम मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि बारहवीं विधान सभा के पंचम, षष्टम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि बारहवीं विधान सभा के पंचम, षष्टम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

(4) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति का **13वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

3.09 PM

व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि रू0 170 करोड़ का I.C.T. Project भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है जिसको इसी वित्तीय वर्ष में कार्यन्वित करना आवश्यक है। उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि We will sort out this matter before the close of this Financial year.

3.11 PM

4. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयनः

श्रीमती विद्या स्टोक्स,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया किः-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए, जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

प्रस्ताव स्वीकार

3.13 PM

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) **माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें)** संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (**वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें**) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

<u>3.15 PM</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचना दी कि आज प्रातः ई-विधान प्रणाली में माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ई-विधान मोबाईल ऐप्स भाग-I लॉन्च किया गया जिसके अन्तर्गत माननीय सदस्यों को Wi-Fi Internet डोंगल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे सभी माननीय सदस्य ई-विधान प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे तथा माननीय सदस्य न केवल विधान सभा परिसर में बल्कि इसका प्रयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र व राज्य से बाहर प्रवास पर रहते हुए भी कर सकेंगे।

<u>3.20 PM</u>

6. <u>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदानः</u>

मांग संख्या-10 (**लोक निर्माण सड़क, पुल एवं भवन**)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 10 लोक निर्माण सड़क, पुल एवं भवन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम

नम्बर 3 में दर्शाई गई धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, सुरेश भारद्वाज, बिक्रम सिंह, गोविन्द सिंह ठाकुर और श्री रविन्द्र सिंह की ओर से 2 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री ईश्वर दास धीमान
2. श्री रिखी राम कौंडल
3. श्री विजय अग्निहोत्री
4. श्री सुरेश भारद्वाज
5. श्री बिक्रम सिंह

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार ।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्या-9 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, सुरेश भारद्वाज, बिक्रम सिंह, गोविन्द सिंह ठाकुर और श्री रविन्द्र सिंह की ओर से 3 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री ईश्वर दास धीमान

(5.45 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

2. श्री रिखी राम कौंडल
3. श्री विजय अग्निहोत्री
4. श्री सुरेश भारद्वाज
5. श्री बिक्रम सिंह

(6.53 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पुनः पदासीन हुए)

मांग संख्या 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर हो रही चर्चा अधूरी रही।

सदन की बैठक अपराह्न 7.00 बजे मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।